भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2342

उत्तर देने की तारीख : 10.12.2024

ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार

2342. श्री शफी परम्बिल:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार से ग्रस्त बच्चों के प्रशिक्षण हेतु देखभाल गृहों/पुनर्वास केन्द्रों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार के पास गैर-सरकारी संगठनों अथवा ट्रस्टों द्वारा संचालित ऐसे देखभाल गृहों और पुनर्वास केन्द्रों की सहायता करने के लिए कोई निधि है;

(ग) यदि हां, तो देखभाल गृहों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय निधियों हेतु आवेदन करने की विस्तृत प्रक्रिया क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार से पीड़ित बच्चों के माता-पिता द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों की जानकारी है; और

(ङ) क्या सरकार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार से पीड़ित बच्चों के संबंध में कोई नीति शुरू करने की योजना बना रही है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) : राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता (बौद्धिक दिव्यांगता) और बहु-दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय न्यास उन गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो राष्ट्रीय न्यास के तहत पंजीकृत संगठन हैं। वर्तमान में, राष्ट्रीय न्यास दिशा (शीघ्र उपचार और स्कूल तैयारी केन्द्र), विकास (डे केयर केन्द्र), दिशा-सह-विकास (डे केयर केन्द्र), समर्थ (राहत देखभाल केन्द्र), घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह) और समर्थ-सह-घरौंदा

(आवासीय देखभाल केन्द्र) कार्यान्वित करने वाले 125 योजना केन्द्रों को वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। इन योजना केन्द्रों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-क** में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 30 समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों (सीआरसी) को विभाग के अधीन राष्ट्रीय संस्थानों के पहुंच (आउटरीच) केन्द्रों/विस्तारित शाखाओं के रूप में अनुमोदित किया गया है। सीआरसी दिव्यांगजनों की सभी श्रेणियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करता है, पुनर्वास पेशेवरों, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देता है, शिक्षा और कौशल विकास के कार्यक्रमों का संचालन करता है तथा माता-पिता और समाज में दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करता है। सीआरसी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुबंध-ख** में दिया गया है।

(ख), (ग) और (घ): जी, हां। राष्ट्रीय न्यास ऐसे केन्द्रों की सहायता करने के लिए इस विभाग से प्राप्त सहायता-अनुदान में से निधियां अपने पंजीकृत संगठनों को प्रदान करता है। **अनुबंध-ग** में दिए गए योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पंजीकृत संगठन सहायता प्राप्त करने के लिए ऑन-लाइन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

(ङ) : इस विभाग में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार से पीड़ित बच्चों के संबंध में कोई नई नीति विचाराधीन नहीं है।

*****

अनुबंध-क

राष्ट्रीय न्यास के योजना केन्द्रों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य	दिशा (प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी) केंद्र	विकास (डे केयर) केंद्र	दिशा-सह-विकास (डे केयर) केंद्र	समर्थ (राहत देखभाल) केंद्र	घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह) केंद्र	समर्थ-सह-घरौंदा (आवासीय देखभाल) केंद्र	कुल योग
1	आंध्र प्रदेश	-	3	5	-	2	-	1
2	असम	2	-	-	1	-	-	3
3	बिहार	1	1	2	-	-	-	4
4	चंडीगढ़	1	-	-	-	-	-	1
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	2	2
6	दिल्ली	1	1	1	-	1	-	4
7	गुजरात	-	1	3	1	-	-	5
8	हरियाणा	1	2	1	-	-	-	4
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	2	-	-	-	2
10	हैदराबाद	-	1	-	-	-	-	1
11	जम्मू और कश्मीर	-	4	-	-	1	-	5
12	कर्नाटक	3	1	-	-	1	-	5
13	केरल	1	-	-	-	-	-	1
14	मध्य प्रदेश	4	5	8	2	4	2	25
15	महाराष्ट्र	-	1	-	-	1	-	2
16	मणिपुर	2	-	-	-	-	-	2
17	मेघालय	1	-	-	-	-	-	1
18	ओडिशा	-	1	1	1	3	3	9
19	पुदुचेरी	-	-	-	-	1	-	1
20	पंजाब	-	1	-	-	-	-	1
21	राजस्थान	-	-	-	1	-	-	1
22	तमिलनाडु	1	2	-	2	-	1	6

23	तेलंगाना	-	1	-	-	1	-	2
24	उत्तर प्रदेश	-	6	5	1	3	2	17
25	उत्तराखंड	-	-	-	-	1	-	1
26	पश्चिम बंगाल	3	1	5	-	1	-	1
	कुल योग	21	32	33	9	20	10	125

अनुबंध-ख

सीआरसी का ब्यौरा

क्र.सं.	समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	सीआरसी, श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर
2.	सीआरसी, जम्मू	जम्मू और कश्मीर
3.	सीआरसी, भोपाल	मध्य प्रदेश
4.	सीआरसी, छतरपुर	मध्य प्रदेश
5.	सीआरसी, लखनऊ	उत्तर प्रदेश
6.	सीआरसी, गोरखपुर	उत्तर प्रदेश
7.	सीआरसी, गुवाहाटी	असम
8.	सीआरसी, सुंदरनगर	हिमाचल प्रदेश
9.	सीआरसी, पटना	बिहार
10.	सीआरसी, अहमदाबाद	गुजरात
11.	सीआरसी, कोझिकोड	केरल
12.	सीआरसी, राजनंदगांव	छत्तीसगढ़
13.	सीआरसी, नेल्लोर	आंध्र प्रदेश
14.	सीआरसी, दावणगेरे	कर्नाटक
15.	सीआरसी, बेंगलुरु,	कर्नाटक
16.	सीआरसी, नागपुर	महाराष्ट्र
17.	सीआरसी, अगरतला	त्रिपुरा
18.	सीआरसी, नाहरलागुन	अरुणाचल प्रदेश
19.	सीआरसी, रांची	झारखंड
20.	सीआरसी, बलांगीर	ओडिशा
21.	सीआरसी, गंगटोक	सिक्किम
22.	सीआरसी, पोर्टब्लेयर	अंडमान और निकोबार
23.	सीआरसी, शिलांग	मेघालय
24.	सीआरसी, इम्फाल	मणिपुर
25.	सीआरसी. जयपुर	राजस्थान
26.	सीआरसी, मदुरै	चेन्नई
27.	सीआरसी, कराईकल	पुदुचेरी
28.	सीआरसी, वाराणसी,	उत्तर प्रदेश
29.	सीआरसी, कोहिमा	नागालैंड
30.	सीआरसी, गोवा	गोवा

<u>अनुबंध-ग</u>

<u>राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया</u>

1. राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों (आरओ) को राष्ट्रीय न्यास वेबसाइट (www.nationaltrust.nic.in) पर लॉगइन करना होगा।

2. योजना के आवेदन फार्म ऑनलाइन भरें और आवश्यकतानुसार स्कैन किए गए दस्तावेज अपलोड करें।

3. विधिवत भरा हुआ फॉर्म राष्ट्रीय ट्रस्ट पोर्टल पर जमा करें।

4. 1000 रुपये का आवेदन शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें और निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें -

i. राष्ट्रीय ट्रस्ट पंजीकरण प्रमाणपत्र

ii. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पंजीकरण प्रमाण/प्रमाणपत्र

iii. राष्ट्रीय न्यास के तहत दिव्यांगजनों के साथ न्यूनतम 2 वर्षों के अनुभव का विवरण देने वाली पंजीकृत संस्था द्वारा दिया गया वचन-पत्र (अंडरटेकिंग)।

iv. पता प्रमाण: स्वामित्व दस्तावेज, लीज़ डीड या किराया समझौता

v. आरओ द्वारा गैर-ब्लैकलिस्टिंग / ब्लैकलिस्टिंग की घोषणा

vi. प्रस्तावित योजना केंद्र स्थल का भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, डीएम/डीसी/समाज कल्याण विभाग/तहसीलदार/राष्ट्रीय ट्रस्ट के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित

vii. मौजूदा सुविधाएं और बुनियादी ढांचा

viii. वर्तमान में चलाई जा रही गतिविधियाँ

ix. योग्यता और अनुभव सहित स्टाफिंग

****